



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:19843

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आदेश से प्रथम अपील, त्रुटिपूर्ण सं. 110 वर्ष 2023

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. द्वारा प्रबंधक
मो.दु.दा. वाद

..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

भारत प्रसाद एवं 2 अन्य

..... प्रत्युत्तरदाता(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: जितेन्द्र नारायण मिश्रा

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता

: अमित कुमार

न्यायालय सं. - 20

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार

सि. प्र. आवेदन सं. 2 वर्ष 2023 - विलंब माफी

1. अपीलार्थीगण-बीमा कंपनी के विद्वान् अधिवक्ता श्री जितेंद्र नारायण मिश्रा और प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान् अधिवक्ता को सुना, और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. यह, आदेश से प्रस्तुत प्रथम अपील कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 30 के अधीन

अपीलार्थी-यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा, आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर/ जिला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मजिस्ट्रेट, लखीमपुर-खीरी द्वारा वाद सं, डब्ल्यू. सी. 109/2015 में पारित आक्षेपित आदेश और अधिनिर्णय दिनांक 15.12.2022 के विरुद्ध दाखिल की गई है।

3. कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, यह अपील 131 दिन के विलंब से दाखिल की गई है।

4. प्रस्तुत अपील, विलंब माफी के आवेदन के साथ दाखिल की गई है। विलंब माफी के आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में निम्नवत् कथन किया गया है:

"1. यह कि प्रस्तुत अपील, इस आवेदन के आगे के पैरा में विस्तार से कथित कारणों से, कुछ विलंब से दाखिल की जा रही है।

2. यह कि 10.01.2023 को, अपीलार्थी-कंपनी के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय और आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया था, जो उन्हें उसी दिनांक को उपलब्ध करा दी गई थी। उक्त अधिवक्ता ने इसे 17.01.2023 को अपनी विधिक राय के साथ अपीलार्थी-कंपनी के मंडल कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया था।

3. यह कि उसके बाद, 07.02.2023 को, मामले के अभिलेख मंडल कार्यालय द्वारा अपीलार्थी-कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में भेजे गए थे, जहां वे 09.02.2023 को परिदत्त किए गए थे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. यहकि तत्पश्चात, अपील दाखिल करने की व्यवहार्यता के संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता से द्वितीय राय मांगी गई थी, और यह 22.02.2023 को अपील दाखिल करने के पक्ष में अपनी राय प्रस्तुत की गई थी।
5. यहकि पूरे अभिलेख पर पुनर्विचार करने के बाद, अपीलार्थी के अधिवक्ता को अंततः अपील के माध्यम से निर्णय और आदेश को चुनौती देने के लिए नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के विधिक उपबंध के अनुसार, संबंधित कार्यालय को आयुक्त, कर्मकार प्रतिकर के समक्ष अधिनिर्णीत राशि जमा करना अपेक्षित था।
6. यहकि उक्त राशि 24.03.2023 को विद्वान् आयुक्त के समक्ष जमा कर दी गई थी।
7. यहकि अपीलार्थी के अधिवक्ता ने, जो जमा के साक्ष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्षेत्रीय कार्यालय से वह उपलब्ध कराने की अपेक्षा की थी। बाद में, पूछताछ करने पर, संबंधित कार्यालय ने 25.05.2023 को जमा की रसीद मेल कर दी थी।
8. यहकि उसके बाद, विलंब माफी का आवेदन तैयार किया गया था और यह अपील, कोई और विलंब किए बिना, आज दाखिल की जा रही है।"

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता, श्री जितेंद्र नारायण मिश्रा निवेदन करते हैं कि इस विलंब का स्पष्टीकरण, विलंब माफी के आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में, दिया गया है। वह अग्रेतर निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत अपील दाखिल करने में 131 दिन का विलंब हुआ है, क्योंकि कंपनी में अपील दाखिल करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें युक्तियुक्त समय लगता है। वह अग्रेतर निवेदन करते हैं कि विलंब माफी के कारण, आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में उचित रीति से स्पष्ट किए गए हैं। प्रस्तुत अपील में विलंब या लापरवाही से ग्रसित नहीं है और मामले पर विचार किया जाना अपेक्षित है। कारित विलंब जानबूझकर नहीं किया गया है, और इसलिए इसे माफ किया जा सकता है।

6. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्तागण को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7. यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश/अधिनिर्णय 15.12.2022 को पारित किया गया था, और 25 दिन के अंतराल के बाद, 10.01.2023 को इसकी प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया गया था, जो उसी दिन तक को प्राप्त हो गई थी। इसके बाद, 17.01.2023 को अपीलार्थी ने विधिक राय मांगी थी, जो अपीलार्थी द्वारा प्राप्त की गई थी। फिर से 20 दिन के अंतराल के बाद, अभिलेख को मंडल कार्यालय से अपीलार्थी कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में भेजा गया था, जिसने द्वितीय राय मांगी थी, जो 22.02.2023 को दी गई थी। तत्पश्चात्, एक महीने तक शांति बनी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रही, और फिर 24.03.2023 को अधिनिर्णीत राशि जमा की गई थी, और इसके बाद लगभग एक महीने तक फिर कुछ नहीं हुआ था। 25.03.2023 को ही क्षेत्रीय कार्यालय से राशि जमा करने का साक्ष्य मांगा गया था, और फिर 131 दिन के विलंब के पश्चात्, 31.05.2023 को यह अपील दाखिल की गई थी।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि विलंब के लिए दर्शित कारण, पूर्णतः अपीलार्थी की ओर से विशुद्ध रूप से एक नौकरशाही व्यवस्था है। इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व, यह न्यायालय, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन विलंब की माफी के निर्वचन पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों पर विचार करना उपयुक्त समझते हैं

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत पहले, वर्ष 1962 में, **रामलाल बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड ए आई आर 1962 एस सी 361 में प्रकाशित** मामले में इस बात पर बल दिया है कि, भले ही किसी पक्षकार द्वारा समय के भीतर अपील दाखिल न करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शित किया गया हो, फिर भी वह पक्षकार विलंब की माफी के लिए अधिकृत नहीं हो जाता है, क्योंकि विलंब माफ करना न्यायालय में निहित एक वैवेकिक क्षेत्राधिकार है। न्यायालय, विभिन्न कारणों से पर्याप्त कारण स्थापित हो जाने के बाद भी, संबंधित पक्षकार के सद्भाव के आधार पर विलंब माफ करने से इन्कार कर सकता है। सुसंगत उद्धरण निम्नवत् है:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"7. परिसीमा अधिनियम की धारा 5 की अर्थान्वयन करते समय, दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना सुसंगत है। पहली बात यह है कि अपील करने के लिए विहित परिसीमा अवधि के समाप्त होने पर, डिक्ली-धारक के पक्ष में, उस डिक्ली को पक्षकारों के बीच बाध्यकारी मानने का एक अधिकार उत्पन्न हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जब विहित परिसीमा अवधि समाप्त हो जाती है, तो डिक्ली-धारक को, परिसीमा विधि के अधीन डिक्ली को चुनौती से परे मानने लाभ प्राप्त हो जाता है, और समय बीतने के साथ डिक्ली-धारक को प्राप्त हुए इस विधिक अधिकार को आसानी से बाधित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है वह यह है कि यदि विलंब क्षमा करने के लिए पर्याप्त कारण दर्शित किया जाता है, तो न्यायालय को विलंब माफ करने और अपील ग्रहण करने का विवेकाधिकार दिया गया है। यह विवेकाधिकार न्यायालय को जानबूझकर इसलिए प्रदान किया गया है, जिससे कि इस संबंध में न्यायिक शक्ति और विवेकाधिकार का प्रयोग सारवान् न्याय को बढ़ावा देने के लिए किया जा सके।

12. तथापि, इस बात पर बल देना आवश्यक है कि पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने के बाद भी, कोई पक्षकार प्रश्नगत विलंब की माफी के लिए अधिकार के रूप में दावा करने के लिए अधिकृत नहीं है। पर्याप्त कारण का साक्ष्य धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए एक पूर्ववर्ती-शर्त है। यदि पर्याप्त कारण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



साबित नहीं होता है, तो आगे कुछ भी नहीं किया जाना है; विलंब माफी के लिए आवेदन

केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।"

(बल प्रदान किया गया)

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन, मुंबई नगर निगम,**

(2012) 5 एस सी सी 157 में प्रकाशित, मामले में, पैरा 24 में निम्नवत् निर्णीत किया है:

"24. किसी दिए गए मामले के तथ्यात्मक ढांचे के संदर्भ में अभिव्यक्ति पर्याप्त कारण का क्या प्रभाव होगा, यह बहुत सीमा तक दिए गए स्पष्टीकरण की सद्भावपूर्ण प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि न्यायालय यह पाता है कि आवेदक की ओर से कोई उपेक्षा नहीं हुई है और विलंब के लिए दर्शित कारण में सद्भाव का अभाव नहीं है, तो वह विलंब को माफ कर सकता है। दूसरी ओर, यदि आवेदक द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण मनगढ़ंत पाया जाता है, या वह अपना वाद अभियोजित करने में पूर्णतः उपेक्षापूर्ण रहा है, तो विलंब को माफ न करना न्यायालय के विवेकाधिकार का उचित प्रयोग होगा।"

(बल प्रदान किया गया)

11. इस न्यायालय को विलंब को माफ करने के लिए पर्याप्त 'स्पष्टीकरण' देखना है, न कि

विलंब को माफ करने के लिए केवल 'बहाने', जैसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिव राज**

सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2023) 10 एस सी सी 531 में प्रकाशित मामले में

निर्णीत किया है। इसके सुसंगत पैरा 31 एवं 32 एतदनिम्न उद्धृत किए गए हैं:

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"31. कभी-कभी, पर्याप्त कारण दर्शित न किए जाने या कोई स्वीकार्य स्पष्टीकरण प्रस्तावित न किए जाने के कारण, बहुत कम समय का विलंब भी माफ नहीं किया जा सकता है जबकि, कुछ अन्य मामलों में, लंबी अवधि के विलंब को भी माफ किया जा सकता है, यदि दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक और स्वीकार्य हो। वास्तव में, न्यायालयों को "स्पष्टीकरण" और "बहाने" के बीच अंतर करना चाहिए। एक "स्पष्टीकरण", किसी व्यक्ति को सभी तथ्य बताने और किसी बात का कारण स्पष्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। यह किसी विशेष घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में सहायता करता है और व्यक्ति को यह बताने का अवसर देता है कि जो कुछ हुआ है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, यदि वास्तव में उसकी कोई गलती न हो। तथापि, "स्पष्टीकरण" को "बहाने" से अंतर करने में सावधानी बरती जानी चाहिए। यद्यपि व्यक्ति प्रायः "स्पष्टीकरण" और "बहाने" को एक ही बात मान लेते हैं और दोनों के बीच अंतर करने में संघर्ष करते हैं, फिर भी दोनों के बीच एक सूक्ष्म, किंतु वास्तविक अंतर है।"

32. जब किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है, तो वह अपने उत्तरदायित्व और उसके परिणामों से बचने के लिए कोई "बहाना" प्रस्तुत करता है। यह एक प्रकार की प्रतिरक्षा की कार्रवाई होती है। किसी बात को केवल "बहाना" कहना इस बात का संकेत देता है कि दिया गया स्पष्टीकरण सही नहीं माना जा रहा है। इस प्रकार कहा गया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है, ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो सभी स्थितियों पर लागू होता है, और इसलिए, विलंब की माफी के लिए, पर्याप्त कारण के अस्तित्व या अभाव के आधार पर, प्रत्येक मामले का विनिश्चय, इसके अपने तथ्यों पर ही किया जाना चाहिए। इस प्रक्रम पर, हम इस बात पर केवल खेद व्यक्त कर सकते हैं कि, उन छिपी ताकतों से, जिनका एकमात्र कार्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य दावा, न्यायनिर्णयन के लिए उच्चतर न्यायालयों तक न पहुंच पाए, लोकहित की रक्षा के लिए लंबे विलंब को माफ करने के लिए, प्रायः केवल बहाने ही स्वीकार किए जाते हैं, न कि स्पष्टीकरण।" (बल प्रदान किया गया)

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम टी. टी. मुरली बाबू**, (2014) 4 एस सी सी 108 में प्रकाशित, मामले में, निर्णीत किया था कि विलंब और लापरवाही के सिद्धांत को आसानी से एकतरफ नहीं कर देना चाहिए। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है, किन्तु साथ ही उसे इस प्राथमिक सिद्धांत का भी ध्यान में रखना होगा कि जब कोई व्यथित व्यक्ति, किसी पर्याप्त कारण के बिना, अपने सुख या सुविधा के अनुसार न्यायालय उपागम करता है, तो न्यायालय का यह विधिक दायित्व बन जाता है कि वह इस बात की सूक्ष्मता से जांच करे कि क्या इतने विलंबित प्रक्रम पर उस वाद पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं। विलंब, वादकारी की निष्क्रियता और अकर्मण्यता दर्शित करता है, एक ऐसा वादकारी जो आधारभूत मानदंड भूल चुका है, अर्थात्, पहला नियम

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यहकि टालमटोल करना समय का सबसे बड़ा चोर है, और दूसरा, विधि किसी को, फीनिक्स की तरह सोने और जागने की अनुमति नहीं देती है। विलंब से खतरा होता है और वाद में क्षति कारित होती है।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने *भारत संघ एवं अन्य बनाम जहांगीर बायरामजी जीजीभाय (मृत) द्वारा उनके वि. प्र.; सिविल अपील सं. वर्ष 2024 (वि.अ.या. (सिविल) सं. 21096, 2019 से उत्पन्न), 2024 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 489 में प्रकाशित* मामले में निम्नवत् निर्णीत किया है:

"27. हमारा विचार है कि परिसीमा का प्रश्न केवल एक तकनीकी विचार नहीं है। परिसीमा के नियम, सुदृढ़ लोकनीति और साम्या के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं।" हमें प्रत्युत्तरदाता के सिर पर "डेमोक्रेट्स की तलवार" को, अपीलार्थीगण की सनक और इच्छा के अनुसार निर्धारित किए जाने वाली अनिश्चित अवधि तक लटकाए नहीं रखना चाहिए। (बल प्रदान किया गया)

14. विधि के उपबंधों पर सामंजस्यपूर्ण विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने *पाथापति सुब्बा रेड्डी बनाम कलेक्टर (एल ए), (2024) 12 एस सी सी 336 में प्रकाशित* मामले में निम्नवत् निर्णीत किया है:

"28. यथाउपर्युक्त, विधि के उपबंधों और इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि पर सामंजस्यपूर्ण विचार करने पर, यह स्पष्ट है कि:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- (i) परिसीमा विधि लोकनीति पर आधारित है, कि अधिकार को ही समाप्त करने के स्थान पर, उपचार का अधिकार समपहत करके, वादकारिता का अंत होना चाहिए;
- (ii) कोई अधिकार या उपचार, जिसका लंबे समय तक प्रयोग या लाभ नहीं लिया गया है, एक नियत समयवधि के बाद समाप्त हो जाना चाहिए या उसका अस्तित्व समाप्त हो जाना चाहिए;
- (iii) परिसीमा अधिनियम के उपबंधों का अर्थान्वयन भिन्न रीति से किया जाना चाहिए; जैसे, धारा 3 का अर्थान्वयन कठोरता से किया जाना चाहिए, जबकि धारा 5 का अर्थान्वयन उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए;
- (iv) सारवान् न्याय प्रदान करने के लिए, यद्यपि उदार दृष्टिकोण, न्याय प्रमुख दृष्टिकोण या सारवान् न्याय के उद्देश्य को ध्यान में रखा जा सकता है, किन्तु इसका उपयोग परिसीमा अधिनियम की धारा 3 में अंतर्विष्ट परिसीमा की मूल विधि को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है;
- (v) यदि विलंब का पर्याप्त कारण स्पष्ट किया गया है, तो न्यायालय को विलंब माफ करने के लिए अपने विवेक अधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त हैं, किन्तु इस शक्ति का प्रयोग करना वैवेकिक प्रकृति का है, और यदि विलंब का पर्याप्त कारण स्थापित हो जाने पर भी, विभिन्न कारकों के कारण प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे जहां असाधारण विलंब, उपेक्षा है और सम्यक् तत्परता का अभाव हो;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(vi) केवल इसलिए कि कुछ व्यक्तियों को इसी तरह के मामले में अनुतोष प्राप्त हुआ

है, इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य व्यक्ति भी उसी लाभ के लिए अधिकृत हैं, यदि

न्यायालय अपील दाखिल करने में हुए विलंब के लिए दर्शित कारण से संतुष्ट नहीं हैं;

(vii) विलंब माफ करते समय मामले के गुण/वगुण पर विचार करना अपेक्षित नहीं है;

और

(viii) विलंब माफी के आवेदन का विनिश्चय, विलंब माफ करने के लिए निर्धारित मापदंडों

के आधार पर किया जाना चाहिए, और इस कारण से विलंब माफ करना कि शर्तें

अधिरोपित की गई हैं, विधिक उपबंध की अवहेलना करने के समान है।" (बल

प्रदान किया गया)

15. अनेक निर्णयों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णीत किया है कि विलंब को केवल उदारता के तौर पर माफ नहीं किया जा सकता है। सारवान् न्याय देने का अर्थ, प्रत्युत्तरदातागण को प्रतिकूल प्रभाव रूप से प्रभावित करना नहीं है। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि विलंब माफ करने का विवेक अधिकार प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए, और यह कि, अभिव्यक्ति 'पर्याप्त कारण' का निर्वचन उदारता से नहीं किया जा सकता है यदि किसी पक्षकार पर उपेक्षा, निष्क्रियता या सद्भाव की कमी अधिरोपित की गई है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. प्रस्तुत विलंब माफी आवेदन में किए गए प्रकथनों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश/अधिनिर्णय 15.12.2022 को पारित किया गया था और 25 दिन के बाद, 10.01.2023 को प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया गया, जो उसी दिनांक को प्राप्त हो गई थी। तत्पश्चात्, अपीलार्थी ने 17.01.2023 को विधिक राय मांगी थी, जो अपीलार्थी को प्राप्त हो गई थी। पुनः 20 दिन के बाद, अभिलेख मंडल कार्यालय से अपीलार्थी कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा गया था, जिसने द्वितीय राय मांगी थी, जो 22.02.2023 को दी गई थी। इसके बाद, एक महीने तक शांति बनी रही और तब 24.03.2023 को अधिनिर्णीत राशि जमा की गई थी, और उसके बाद लगभग एक महीने तक कुछ नहीं हुआ था। 25.03.2023 को ही क्षेत्रीय कार्यालय से जमा करने का साक्ष्य मांगा गया था और तब 31.05.2023 को अपील दाखिल की गई थी।

17. अपीलार्थी के, एक बीमा कंपनी होने के कारण, पास एक समर्पित विधिक ढांचा, प्रशिक्षित विधि अधिकारी और पैनल अधिवक्ता हैं, जो ऐसे दावा याचिकाओं को लागू होने वाली विधिक अपेक्षाओं, प्रक्रियात्मक प्रक्रम और परिसीमा अवधि से पूर्णतः परिचित हैं। ऐसी संस्था से, सम्यक् तत्परता से और विधि द्वारा विहित परिसीमा के भीतर काम करने की अपेक्षा की जाती है।

आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रियाएं, पत्रावलियों का गमनागमन, या विभागीय कार्यवाही विलंब के लिए "पर्याप्त कारण" गठित नहीं कर सकते हैं। संस्थागत अक्षमता, लालफीताशाही, या सामान्य प्रक्रियात्मक विलंब, विलंब माफ करने के लिए वैध आधार नहीं हैं। तदनुसार, जब कोई बीमा

कंपनी या कोई विभाग पर्याप्त अवसंरचना और व्यावसायिक विधिक सहायता होने के बाद भी "अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



परिसीमा के भीतर कार्य करने में विफल रहता है, तो विभागीय विलंब का अभिवचन, विलंब को न्यायोचित नहीं ठहराता है। ऐसे संस्थागत या विभागीय वादकारियों पर यह बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वे अपना सद्भावपूर्ण होना और अपरिहार्य परिस्थितियां दर्शित करें, अन्यथा, विलंब माफ नहीं किया जा सकता है।

18. किसी वादकारी को इतना सुस्त और उदासीन होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और न्यायालयों द्वारा विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति तो बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए। प्रस्तुत अपील में विलंब घोर उपेक्षा और जानबूझकर की गई निष्क्रियता के कारण प्रतीत होता है, और इसलिए अपीलार्थी को कोई उदार छूट नहीं दी जा सकती है।

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, परसीमा अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्रयोग की जाने वाली वैवेकिक शक्ति के, उद्देश्य, व्याप्ति, विस्तार, परिसीमा के संबंध में, प्रतिपादित विधि की उपर्युक्त आधिकारिक घोषणा की दृष्टि से, इस न्यायालय का विचार है कि अपीलार्थी द्वारा विलंब माफी के आवेदन में दर्शित कारण, एक दिखावा के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं, क्योंकि अपीलार्थी यह स्पष्ट नहीं कर सका है कि उसे कार्यवाही में भाग लेने से किस बात ने रोका था। विलंब माफी के आवेदन के साथ दाखिल शपथपत्र का परिशीलन करने पर, यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी-कंपनी यह स्थापित करने में विफल रही है कि वे इस मामले की पैरवी करने में युक्तियुक्त रूप से तत्पर थे। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दाखिल करने में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कारित 131 दिन का विलंब, निराशाजनक रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित है, क्योंकि न तो विलंब माफी के आवेदन में कोई पर्याप्त कारण दर्शित किया गया है, और न ही इसे न्यायालय कि संतुष्टि के अनुरूप पाया गया है। इसलिए, विलंब माफी के लिए वैध परीक्षण संतुष्ट नहीं होता है। अतः, इस प्रक्रम पर विलंब को माफ नहीं किया जा सकता है।

20. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय पाता है कि विलंब न्यायोचित ठहराने के लिए निराशाजनक प्रयास किया गया है। विलंब माफी के आवेदन के साथ दाखिल शपथपत्र में दिए गए कारण, पर्याप्त कारण की अपेक्षा, बहाने अधिक प्रतीत होते हैं। विलंब, जैसा शपथपत्र में कथित है, कोई पर्याप्त कारण दर्शित नहीं करता है, और तदनुसार, विलंब माफी का प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है।

21. परिणामस्वरूप, प्रस्तुत अपील विलंब और लापरवाही के आधार पर खारिज की जाती है।

मार्च 17, 2026

अर्जुन/-

(न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी विधिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”